



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062020-219944
CG-DL-E-15062020-219944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681]
No. 1681]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

पेटोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2020

का.आ. 1884(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के अधीन, गुजरात राज्य क्षेत्र के भीतर, एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (एच.एम.पी.एल.) की मुंदरा – बठिण्डा पाइपलाइन विस्तार परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, प्रान्त अधिकारी / सहायक कलेक्टर, प्रान्त कचहरी, मुन्द्रा, जिला कच्छ, गुजरात सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-12031/2/2018-ओ-आर-1/ई-26406]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2020

S.O. 1884(E).—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes Prant Officer / Assistant Collector, Government of Gujarat, Prant Court, Mundra – 370421, Dist. Kutch, Gujarat to

perform the functions of the Competent Authority for the Mundra-Bathinda Pipeline Extension Project, under the said Act, within the territory of the State of Gujarat.

[F. No. R-12031/2/2018-OR-I/E-26406]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.